

आय का घोषणा पत्र

(पिता/ माता/ पति/ पत्नी/ संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

उत्तरमैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में वर्ष 2017-18 के लिये

प्रारूप भाग - I

1. प्रार्थी (विद्यार्थी के पिता/ माता/ पति/ पत्नी/ संरक्षक का नाम पिता/ पति का नाम श्री आयु वर्ष माह
2. निवास स्थान का पूर्ण पता:
3. आय घोषणाकर्ता का पैन नम्बर (50 हजार से अधिक की छात्रवृत्ति के लिये) (जो स्पष्ट अंकित हो) (बीपीएल को छोड़कर)
4. आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार नम्बर (जो स्पष्ट अंकित हो)
5. आय का घोषणा पत्र देने वाले का भामाशाह नम्बर (जो स्पष्ट अंकित हो)
6. आय का घोषणा पत्र देने वाले का मोबाइल नम्बर
7. आय का घोषणा पत्र देने वाले के समस्त स्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरण – (सम्बंधित पर चिन्हित करें, राजकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फार्म नं. 16 भी संलग्न करें)

(1) कृषि भूमि (.....) आदि से आय: रु	(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आय: रु
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आय: रु	(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, कारोबार, व्यवसाय या ब्याज, लाभांश से आय: रु
(5) अन्य स्रोतों से आय: रु	कुल वार्षिक आय: रु

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक

हस्ताक्षर

आय की घोषणा करने वाले का नाम

विद्यार्थी से सम्बंध

प्रारूप भाग - II

(दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साथ प्रमाण-पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि प्रार्थी/प्रार्थियों पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री

निवासी को भली प्रकार से जानते हैं। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गयी घोषणा के हम साक्षी हैं। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/ प्रार्थियों के पास आय को कोई अन्य स्रोत नहीं है।

(1) हस्ताक्षर उत्तरदायी व्यक्ति

(2) हस्ताक्षर उत्तरदायी व्यक्ति

(पद नाम मय दिनांक एवं मो. नं.)

(पद नाम मय दिनांक एवं मो. नं.)

नोट:- (उत्तरदायी व्यक्ति यथा – संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/ जिला प्रमुख/ प्रधान/ जिला परिषद सदस्य/ सरपंच/ वार्ड पंच/ महापौर/ नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ वार्ड पार्षद/ वार्ड मेम्बर/ राजकीय अधिकारी/ कर्मचारी से अभिशंषा करवायें।)

प्रारूप भाग - III

मैं पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरा/ मेरी एवं मेरे पति/ पत्नी की (जो भी लागू हो) समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रु अक्षर रु. है। उक्त शपथ-पत्र मेरी निजी जानकारी में लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 177, 197, 198, 200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं यह अच्छी तरह समझता/समझती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाये जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

प्रारूप भाग - IV

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम) पिता/ पति का नाम आयु वर्ष, निवासी ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसके प्रमाणीकृत होने की पहचान मेरे द्वारा की गयी है।

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम मय पद एवं सील

(कार्यपालक मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/ नायाब तहसीलदार/ नगर निकायों के अधिकारी/ राजपत्रित अधिकारी/ अन्य प्राधिकृत अधिकारी नोटरी पब्लिक/ ऑथ कमिश्नर (रजिस्ट्रेशन क्रमांक) नाम, पद व मुहर सहित)